

दूरभाष/Telephone: 0612-2565756

ईमेल/Email: bihar.gdc.soi@gov.in

फैक्स/Fax: 0612-2565265

राष्ट्र के सेवा में 252 वर्षों से अधिक **252 YEARS IN THE SERVICE TO THE NATION** भारतीय सर्वेक्षण विभाग **SURVEY OF INDIA**



निदेशक का कार्यालय बिहार भु-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र

Office of the Director, Bihar Geo-spatial Data Centre

सातवीं मंजिल :ब्लॉक 'ए', 'एफ' एवं 'जी') कर्पूरी ठाक्र सदन, केन्द्रीय कार्यालय परिसर 7th Floor (Block 'A', 'F' and 'G'), Karpuri Thakur Sadan,

Kendriya Karyalaya Parisar

Ashiyana-Digha Road, Patna-800025

आशियाना-दीघा रोड, पटना-800025



बिहार भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र नेमी आदेश सं.- 08 /37-जी-6, दिनांक 11 /12 /2020

एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत सर्वेक्षक को प्रथम वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किए जाने के संबंध मे:-

विज्ञान और प्रौदयोगिकी विभाग के पत्र संख्या ए-11019/1/2008-सी.डी.एन. दिनांक 08.06.2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं.जी.-35034/3/2008-स्था. (डी) दिनांक 19.05.2009 में निहित अन्देशों के अन्सरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के **सर्वेक्षकों** के संवर्ग में निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम.ए.सी.पी. योजना के तहत वेतन मैट्रिक्स में लेवल 7 में प्रथम वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया जाता है:-

क्रम सं.	नाम	पदनाम	प्रथम एम.ए.सी.पी. के लाभ की तिथि
1.	Shri Ranjeet Kumar	Surveyor	01.10.2020

प्राधिकारः-भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय का पत्र सं.सी-2996/1902-MACP-I(Surveyor)(Coll.IV), दिनांक 12.11.2020

एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत द्वितीय वित्तीय उन्नयनः-

भारत के महासर्वेक्षक के कार्यालय द्वारा इस निदेशालय के निम्नलिखित ग्र्प 'सी' (पूर्व ग्र्प 'डी') कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शाये गये विवरणान्सार एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत द्वितीय वितीय उन्नयन का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्रम	नाम व पदनाम	वर्तमान पे	महासर्वेक्षक कार्यालय का	एम.ए.सी.पी.	एम.ए.सी.पी. योजना
सं.		लेवल	पत्र सं.	का लाभ	के अंतर्गत स्वीकृत पे
				मिलने की	लेवल जिसमें अगला
				तिथि	वित्तीय उन्नयन दिया
					जाना है।
1.	Shri Chandar Dev, MTS	Pay Level 02	सं.सी-2863/1902-	27.11.2020	Pay Level 03
	(Khalasi)		एम.ए.सी.पी.(ग्रूप 'डी'),	(द्वितीय	
			दिनांक 16.10.2020	एम.ए.सी.पी.)	

3. पदोन्नति पर स्थानान्तरणः-

भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय के आदेशान्सार निम्नलिखित ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) डिविजन-। को अधिकारी सर्वेक्षक के पद पर पे मैट्रिक्स के लेवल 8 में नियमित आधार पर पदोन्नित पर स्थानान्तरण/तैनाती किया गया है।

--2--

क्रम	नाम एवं पदनाम	कार्यालय से	कार्यालय को	जिस नए पद पर	पदोन्नति की	टिप्पणी
सं.				पदोन्नति दी गई	तिथि (कार्यग्रहण	
					की तिथि)	
1.	श्री संतोष कुमार,	झारखंड	बिहार जी.डी.सी.,	अधिकारी सर्वेक्षक	25.11.2020	-
	सर्वेक्षक	जी.डी.सी., राँची	पटना		(पूर्वाहन)	

प्राधिकार:- 1. भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय का पत्र सं.सी-2862/707(Coll.74), दिनांक 14/15 अक्टूबर, 2020

2. भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय का पत्र सं.सी-2997/707 (संग्रह 75), दिनांक 12 नवम्बर, 2020

4. पदोन्नति

भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय के आदेशानुसार निम्निलिखित मोटर ड्राइवर-कम-मैकेनिक साधारण ग्रेड को उनके नाम के सामने दर्शाये गए विवरणानुसार मोटर ड्राइवर-कम-मैकेनिक ग्रेड-II के पद पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल-4 में नियमित आधार पर पदोन्नित प्रदान की जाती है:-

क्रम सं.	नाम	जिस पद पर पहले कार्यरत थे	जिस नए पद पर पदोन्नति दी गई	पदोन्नति की तारीख	टिप्पणी
1.	Shri Vikas Kumar	मोटर ड्राइवर-कम- मैकेनिक साधारण ग्रेड	मोटर ड्राइवर-कम- मैकेनिक ग्रेड-II	09.11.2020 (पूर्वाहन)	-

प्राधिकारः- भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय का पत्र सं.सी-2978/1077 (ग्रेड-II), दिनांक 06 नवम्बर, 2020

5. रोकड़िया को नकदी संभालने का भत्ता (CASH HANDLING ALLOWANCE TO CASHIER)

भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली के पत्र संख्या 14/3/78-एस.एम.पी.-1, दिनांक 28.03.1978 और भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय, नई दिल्ली (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/6/2008-स्थापना(वेतन-।।) दिनांक 01.10.2008 एवं कार्यालय ज्ञापन सं.4/6/2017-Estt.(Pay-II), दिनांक 18.01.2019 के अनुसार निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये विवरणानुसार रोकड़िया का कार्य करने के लिए नकदी वितरण भता स्वीकृत किया जाता है:-

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम	अवधि	भत्ते की राशि	भुगतान की गई औसत राशि
1.	श्री मो. शब्बर अली तैयब,	01.04.2020 से 31.03.2021 तक	रू. 700/-प्रति माह	₹.84263/-
	प्र.श्रे.लि.			

उपरोक्त मद सं. 1 से 4 के कर्मचारी/अधिकारी द्वारा पदोन्नति/वितीय उन्नयन पर नए वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिए एफ.आर. 22(I)(क)(I) के तहत विकल्प देना होगा।

उपरोक्त मद सं. 1 से 4 के कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध यदि कोई सतर्कता संबंधी मामला/ अनुशासनिक कार्यवाही अथवा लंबित सजा का मामला प्रकाश में आता है तब उन पर पदोन्नति/वित्तीय उन्नयनके आदेश कार्यान्वित नहीं किए जायेंगे।

उपरोक्त मद सं. 1 से 4 तक के कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

उपरोक्त मद सं. 1 से 5 के लिए अतिरिक्त व्यय बिहार भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र, पटना के वर्ष 2020-2021 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा तथा उपयुक्त लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

6. स्थायीकरणः-

इस निदेशालय के निम्नलिखित कर्मचारी को इस कार्यालय के पत्र सं.1650/14-C-2, दिनांक 07/09/2020 के आलोक में उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तिथि से स्थायीकरण/पृष्टिकरण किया गया है।

क्रम सं.	नाम	पदनाम	स्थायीकरण की तारीख
1.	श्री शशि कांत कुमार	प्रवर श्रेणी लिपिक	01.01.2018
2.	श्रीमती संगीता देवी	एम.टी.एस.	01.01.2017
3.	श्रीमती अनिता देवी	एम.टी.एस.	01.01.2017
4.	श्री सुधाकर कुमार	एम.टी.एस.	01.01.2017

7. <u>स्थानान्तरण पर गये</u>

भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय के आदेशानुसार निम्नलिखित ग्रुप 'ए' एवं 'बी' अधिकारियों का स्थानान्तरण/तैनाती उनके नाम के सामने दर्शाए गए विवरणानुसार किया गया है:-

क्रम सं.	नाम व पदनाम	कार्यालय से	कार्यालय को	कार्यमुक्ति की तिथि
1.	कर्नल ताहिर मुस्तफा, निदेशक	बिहार जी.डी.सी.,		29.10.2020 (A/N)
		पटना	Svy (GSGS) New Delhi	
2.	श्री बिजय चौधरी,	बिहार जी.डी.सी.,	झारखंड जी.डी.सी.,	28.10.2020 (A/N)
	अधिकारी सर्वेक्षक	पटना	राँची	

प्राधिकार:- 1. भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय का पत्र सं.सी-2690/PF(Col Tahir Mustafa), दिनांक 15 सितम्बर, 2020 2. भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय का पत्र सं. स्था.1-6983/1466-अधिकारी, दिनांक 22.09.2020

8. सेवानिवृत्ति

इस निदेशालय के निम्नलिखित कर्मचारी उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से अधिवर्षिता पर सेवा-निवृत्त हुए:-

क्रम सं.	नाम व पदनाम	सेवा-निवृत्ति की तिथि
1.	श्री रोहनिया आत्मज जग लाल, एम.टी.एस. (दफादार)	31.10.2020

9. <u>सर्वेक्षक/सर्वेक्षण सहायक का पदनाम पुनःपदनामित (Re-designated) के संबंध में</u>

भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादून के विभागीय आदेश सं.W-12/709-कैडर रिस्ट्रक्चिरंग, दिनांक 08.10.2020 के अनुसरण में इस कार्यालय के नेमी आदेश सं.07/37-जी-6, दिनांक 10/09/2020 के मद सं. 7 के द्वारा जारी सर्वेक्षक/सर्वेक्षण सहायक को विरष्ठ सर्वेक्षक के रूप में पुनःपदनामित करने का आदेश वापस लिया जाता है।

(आलोक कुमार) उप अधीक्षक सर्वेक्षक निदेशक (सामयिक प्रभार) बिहार जी.डी.सी., पटना

<u>वितरणः</u>

- भारत के महासर्वेक्षक, देहराद्न को सूचनार्थ।
- 2. अपर महासर्वेक्षक, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता को सूचनार्थ।
- 3. वरिष्ठ लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, कोलकाता।
- 4. प्रभारी, विभागीय वेबसाइट, द्वारा भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को ई-मेल (admn.soi@gov.in) के माध्यम से विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेत्।

- ई-मेल द्वारा

- 5. अन्भाग प्रभारी, पत्राचार अन्भाग(बि.भू.ऑ.के.)/लेखा अन्भाग (बि.भू.ऑ.के.)/गोपनीय अन्भाग(बि.भू.ऑ.के.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् ।
- 6. गार्ड फाइल